

औद्योगिक सभ्यता और कार्ल मार्क्स का अलगाववाद

¹विवेक सिंह

¹असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, भारतीय महाविद्यालय फरुखाबाद, उ०प्र०

Received: 20 Nov 2022,

Accepted: 25 Nov 2022,

Published on line: 30 Nov 2022

Abstract

17वीं-18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक, वाणिज्यिक एवं पुनर्जागरण के फलस्वरूप जिस औद्योगिक सभ्यता का उदय हुआ उसने संपूर्ण दुनिया के सामंतवादी ताने बाने को पूरी तरह से बदल डाला। मशीनीकरण के कारण यंत्र और उपकरणों पर आधारित जिस सामाजिक-आर्थिक नई व्यवस्था का उदय हुआ, उसमें मनुष्य पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर होता चला गया। उत्पादन के साधन पूरी तरह से नए पूंजीपति वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गए। पूंजी और तकनीक पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य स्थापित हो गया। आम आदमी और मजदूर मशीन का एक उपकरण मात्र बनकर रह गए। अपने अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के चक्कर में मनुष्य को 12 से 14 घंटे काम करने के लिए विवश होना पड़ा है। जिसका परिणाम यह रहा कि मनुष्य उत्पादन, उत्पादन की प्रक्रिया, प्रकृति और अपने नाते-रिश्ते एवं स्वयं से अलग होता चला गया। उसकी स्थिति अलगाव की स्थिति बन गई। मनुष्य अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता से वंचित हो गया है। अपने अंदर की रचनात्मक क्षमताओं को प्रकट करने से वंचित हो गया है। इस स्थिति से निकलने का एक ही तरीका है नए साम्यवादी समाज की स्थापना।

कीवर्ड— सामंतवाद, औद्योगिक सभ्यता, मशीनीकरण, उत्पादन के साधन, उत्पादन के तरीके, अलगाव, साम्यवादी समाज।

Introduction

मार्क्स ने अपनी पुस्तक—“आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां” 1844, में पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य के शोषण का उल्लेख किया है। मार्क्स का स्पष्ट कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरह से शोषण और हिंसा पर आधारित है। इसमें मुट्ठी भर लोगों (पूंजीपति वर्ग) के द्वारा एक बड़े सर्वहारा वर्ग (निर्धन वर्ग) का शोषण किया जाता है। उन्हें विवश किया जाता है। उन्हें उनके अधिकारों तथा हक से वंचित कर दिया जाता है। उनकी स्थिति एकदम से गुलामों जैसे बन जाती है। वह उत्पादन तो हर चीज का करता है, लेकिन वह उनका उपभोग नहीं कर सकता। न ही उत्पादन करते समय उसने अपनी क्षमता, शक्तियों व इच्छाओं का जो प्रयोग किया है उसे जान पाता है और न ही उसे देखकर खुश हो सकता है। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी सभ्यता लाभ, प्रतिस्पर्धा, शोषण और हिंसा पर आधारित है। इसने मानव को दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। एक, सुविधा संपन्न वर्ग पूंजीपति वर्ग। दूसरा, सुविधाहीन निर्धन और गरीब वर्ग। सुविधा संपन्न पूंजीपति वर्ग चूंकि उत्पादन के साधनों और तकनीक पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। इसलिए सारे विशेषाधिकार उसने जबरन ले लिया है, जबकि दूसरी तरफ सुविधाहीन गरीब और निर्धन वर्ग उत्पादन के साधनों, तकनीक और पूंजी से वंचित है, इसलिए आर्थिक और तकनीकी प्रभुत्व के आधार पर पूंजीपति वर्ग निर्धन एवं गरीब वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स ने बताया कि मजदूरों का शोषण उत्पादन की प्रक्रिया के स्तर पर ही शुरू हो जाता है। इसका कारण यह है, कि उत्पादन के साधन (यथा पूंजी, जमीन, यंत्र, उपकरण, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी) इन सब पर पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है।

मजदूर वर्ग इन सभी संसाधनों के अधिकार से वंचित रहते हैं। इसी का फायदा पूंजीपति मजदूरों का शोषण करने में उठता है। मार्क्स ने बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों का अलगाव निम्न प्रकार से होता है।

1—श्रम के स्तर पर — उत्पादन करते समय मजदूरों का अपने श्रम के उत्पादों पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। उत्पाद उनके लिए एक बाहरी वस्तु बन जाता है। वह अपने परिश्रम के उत्पादों का आनंद लेने और उसका उपभोग करने में सक्षम नहीं रह जाता। वह अपने मालिकों व पूंजीपतियों के लाभ के लिए उत्पादन करने वाला एक साधन बनकर रह जाता है। उन उत्पादों से उसका कोई लगाव नहीं रह जाता है।

2—उत्पादन प्रक्रिया के स्तर पर अलगाव — उत्पादन की प्रक्रिया में मजदूरों का कोई योगदान नहीं रह जाता। कहने का तात्पर्य है कि कितना उत्पादन करना है, कब उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, इन सब बातों पर निर्णय लेने का अधिकार मजदूरों का नहीं रह जाता है। इस तरह वह अपने मालिकों व पूंजीपतियों के आदेशों का पालन करने वाला एक मूक कार्यकर्ता ही बनकर रह जाता है।

3—अपने सहचरों से अलगाव — पूंजीवादी समाज में मजदूर एक दूसरे से कटे रहते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा और अपने व्यक्तिगत लाभ के चलते कोई अपने सहकर्मियों को अपना सहयोगी नहीं बल्कि अपना प्रतिस्पर्धी मानने लगते हैं। जिसका नतीजा यह होता है कि वह एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते हैं और एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भरे रहते हैं।

4—रिश्तों और नातों से अलगाव — पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों को अपने परिश्रम का वाजिब पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। जिसकी वजह से वह अपने अनिवार्य पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए उनको अधिक काम अथवा ओवर टाइम करके अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि उन्हें 12 से 14 घंटे काम करने पड़ते हैं। जब वह थककर घर आता है, तब वह इतना थका होता है कि उसे न तो अपने बीबी-बच्चों के लिए समय मिल पाता है और न ही अपने नाते और रिश्ते को निभाने के लिए समय मिल पाता है। इस तरह वह अपने नातों-रिश्तों से भी कट जाता है।

5—स्वयं एवं प्रकृति से अलगाव— पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों को अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए चूंकि बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और उसे अपने परिश्रम का न्यायोचित पारिश्रमिक भी नहीं मिल पाता। इसका नतीजा यह होता है कि मजदूर अपने विषय में, अपने अंदर की सृजनात्मक क्षमताओं के विषय में और अपने रुचि एवं पसंद के विषय में कुछ भी सोच समझ नहीं पाता। इस तरह स्वयं अपने से कट जाता है। वह घर से कारखाने और कारखाने से घर तक ही सीमित रह जाता है। उसे प्रकृति का साक्षात्कार करने का समय ही नहीं मिल पाता। इस तरह वह प्रकृति से भी कट जाता है।

मार्क्स ने उक्त अलगाव को विवशता अथवा परतंत्रता कहा है, जो पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। आज के उदारवादी भूमंडलीकरण के युग में मार्क्स ने मनुष्य के अलगाव के जो लक्षण अपनी पुस्तक में बताए थे, वह आज पूरी तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। उदारवादी भूमंडलीकरण मनुष्य को ज्ञान, वस्तु और सेवाओं के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जोड़ दिया है। जिसका नतीजा यह रहा कि संसार के

सभी मनुष्य अथवा राष्ट्र एक दूसरे पर अपनी आवश्यकताओं के लिए परस्पर निर्भर हो गए हैं। लेकिन भौतिक संसाधनों तक सभी मनुष्य अथवा सभी राष्ट्रों की पहुंच एक समान नहीं है। सुविधाओं एवं लाभ का वितरण असमानपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण है। जो सबसे ज्यादा परिश्रम करता है, वह सबसे कम पारिश्रमिक पाता है और सबसे ज्यादा परेशान है। जो सबसे कम परिश्रम करता है, वह सबसे ज्यादा पारिश्रमिक पाता है और वह सबसे ज्यादा सुविधा संपन्न है। इसका कारण यह है कि मजदूर वर्ग को उसकी मेहनत का न्यायोचित मेहनताना नहीं प्राप्त होता है। पूंजी और तकनीक पर सामाजिक नियंत्रण न होने की वजह से मजदूरों को सामाजिक-आर्थिक न्याय नहीं मिल पाता। पूंजी और तकनीक पर पूंजीपतियों का नियंत्रण एवं प्रभुत्व होने की वजह से मजदूरों को अपना शोषण करवाने के लिए विवश होना पड़ता है। पूंजीपतियों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए शासन- प्रशासन, न्यायालय, पुलिस एवं जेल सभी काम करते हैं। लेकिन मजदूर वर्ग के हितों तथा अधिकारों के लिए कोई एजेंसी व तंत्र नहीं है। सरकारों के द्वारा सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थी को नहीं मिल पाता। सभी विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की बलि पर चढ़ जाती है। सेवाएं और नौकरियां सब ठेकेदार एवं कॉन्ट्रैक्टर को सौंप दिए जा रहे हैं। राज्य किसी भी प्रकार के सामाजिक- आर्थिक विकास व कल्याण की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। यह सभी जिम्मेदारियां पूंजी पतियों और ठेकेदारों को सौंपी जा रही हैं। इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि कोई भी कर्मचारी अपनी सेवा व नौकरी को लेकर सुरक्षित नहीं है। इन्हें पूंजीपति अथवा ठेकेदार जब चाहे तब उनकी सेवा व नौकरी से हटा सकते हैं। कारखाने में काम करने वाले मजदूर के काम के घंटे अवकाश, पारिश्रमिक, छुट्टी अथवा रोग-व्याधि के उपचार के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था केवल कागजों में बनी रह गई है। ठेकेदारी प्रणाली की वजह से यह सब व्यवस्थाएं उनके ऊपर लागू नहीं होती। इसका नतीजा या तो मजदूर की आत्महत्या के रूप में देखने को मिलता है अथवा विवशता के साथ जीवन जीने के रूप में देखने को मिल रहा है।

औद्योगिक सभ्यता ने समाज में मनुष्यों के केवल दो वर्ग बनाए हैं। एक है- "पूंजीपति वर्ग" और दूसरा है- "मजदूर वर्ग"। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि एक-सुविधासंपन्न व प्रभुत्वशाली वर्ग है और दूसरा- सुविधाहीन व प्रभुत्वहीन वर्ग है। इस विभाजन का आधार केवल और केवल "पूंजी" और "तकनीक" है। जिसका पूंजी और तकनीक पर प्रभुत्व है वह प्रभुत्वशाली वर्ग है और जो वर्ग पूंजी और तकनीक से वंचित है वह प्रभुत्वहीन वर्ग है। मजदूर व प्रभुत्वहीन वर्ग के शोषण या उनकी विवशता का हथियार "पूंजी" और "तकनीक" ही है। आज के उदारवादी भूमंडलीकरण को दुनिया के तमाम देशों के पूंजीपति वर्ग और प्रभुत्वशाली वर्ग के द्वारा चलाया जा रहा है। जिसका एकमात्र उद्देश्य मजदूर व निर्धन वर्ग का शोषण करना तथा अल्प विकसित व विकासशील देशों के भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जमाना अथवा लूटना ही है।

मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी सभ्यता में मनुष्य की मुक्ति अथवा स्वतंत्रता की कल्पना संभव ही नहीं है। इसलिए निर्धन एवं मजदूर वर्ग को क्रांति द्वारा एक नए समाज, एक नई व्यवस्था को जन्म देना होगा। जो वर्गविहीन, जातिविहीन और शोषणरहित व्यवस्था होगी। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए सबसे पहले जरूरी है कि 'निजी संपत्ति' को खत्म किया जाए। सभी प्रकार के भौतिक संसाधनों एवं प्राकृतिक संसाधनों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करके प्रभुत्व और विशेषाधिकारों को खत्म किया जाए। तकनीक और प्रौद्योगिकी पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाए। पूंजी और तकनीक का उपयोग

सभी मनुष्यों की भलाई के लिए किया जाए। सामाजिक लाभ के लिए सभी प्रकार के उद्योगों का संचालन किया जाए। निजी हित और व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी कार्य न किए जाएं। राज्य द्वारा हर मनुष्य को उनके वाजिब पारिश्रमिक की गारंटी दी जाए। हर मनुष्य को उनके कार्य की अनुसार ही उनके पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए। लेकिन आगे चलकर धीरे-धीरे जब पूंजी और तकनीक इतनी विकसित हो जाए कि सभी मनुष्यों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन होने लगे, तब हर व्यक्ति से उसकी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार कार्य करवाए जाएं। लेकिन उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें लाभ और सुविधाएं दी जाएं। इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाएगा तो निःसंदेह प्रतिस्पर्धा, स्वार्थ और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। हर मनुष्य सुखी होगा, आत्मा संतुष्ट होगा और आत्मनिर्भर होगा। वह अपनी पसंद, रुचि और इच्छा के अनुसार अपने अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर सकेगा और उसका आनंद उठा सकेगा। इस तरह से मनुष्य के शोषण और विवशता को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है और मानव जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। जब पूंजी और तकनीक बंधक नहीं रहेंगे बल्कि उनके द्वार सबके लिए समान रूप से खुले रहेंगे। हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, तब मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण की कुप्रथा का अंत हो जाएगा। ऐसे में मनुष्य की स्वतंत्रता की चेतना अपने पूर्ण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएगी। राज्य की भी उपयोगिता या तो खत्म हो जाएगी या उसकी मानवीय गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की संभावना न के बराबर रहेगी। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ऐसे समाज की विशेषता परस्पर प्रेम, सद्भाव और भाईचारा होगा न कि विवशता और परतंत्रता।

संदर्भ सूची ग्रन्थ—

- 1— आशीर्वादम् एडी० एण्ड मिश्र कृष्णकांत — 2014 राजनीति विज्ञान, एस०चन्द एण्ड कं० प्रा० लि०, नई दिल्ली।
- 2— भार्गव राजीव एण्ड आचार्य अशोक—2012, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, पीयरसन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- 3— गाबा ओमप्रकाश — 2001, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, मयूर पेपरबैक्स, नोएडा।
- 4— भगत आर० एम० एण्ड टंडन सतीश — 2013, 'राजनीतिक विचारक प्लेटो से मार्क्स, न्यू एकाडमिक पब्लिसिंग कम्पनी, जालंधर।
- 5— किमलिका बिल (अनुवाद कमल नयन चौवे) — 2010, 'समकालीन राजनीतिक दर्शन एक परिचय, पीयरसन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- 6— जौहरी जे०एस० एण्ड जौहरी सीमा — 2001, आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा०लि०, नई दिल्ली।
- 7— संधू सिंह ज्ञान —1999, राजनीतिक सिद्धांत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- 8— वर्मा एस०पी०—2002, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, विकास पब्लिसिंग हाउस प्रा०लि०, नई दिल्ली